

कार्यालय वन वृत्त शहडोल-484001 (मध्यप्रदेश)

PHONE-245361 FAX-240189 E_MAIL- ccf.sdl@mp.gov.in

क्रमांक/माचि/2020/ 1438
प्रति,

शहडोल, दिनांक 28/2/2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
म.प्र. भोपाल

विषय :- अनूपपुर जिले के वनमण्डल अनूपपुर के परिक्षेत्र कोतमा अंतर्गत झिरिया वेस्ट ओ.सी.परियोजना (1.50MTY) हेतु 354.258 हेक्टेयर वन/राजस्व वनभूमि के व्यपवर्तन/गैर वानिकी प्रयोजन हेतु (Proposal No : FP/MP/MIN/ 39881/2019)।

संदर्भ:-

1. आपका पृ. क्र./एफ-1/FP/MP/ MIN/ 39881/2019/3405 दि.22.10.2019.
2. कार्यालयीन अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक/5512 दिनांक 05.11.2019.
3. वमंअ अनूपपुर का ज्ञापन क्रमांक/माचि./332 दिनांक 24.02.2020.
4. इस कार्यालय का ज्ञापन क्रमांक/माचि./1306 दिनांक 25.02.2020.
5. वमंअ अनूपपुर का ज्ञापन क्रमांक/माचि./336 दिनांक 25.02.2020.

☆☆☆

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र -1 एवं 2 के परिपालन में मुख्य महाप्रबंधक एसईसीएल हसदेव क्षेत्र द्वारा कोतमा परिक्षेत्र के अन्तर्गत झिरिया वेस्ट ओपन कास्ट परियोजना हेतु कुल 354.258 हे. वन एवं राजस्व भूमि का प्रकरण संदर्भित पत्र - 3 के माध्यम से प्रस्ताव की ऑनलाईन/हार्डकॉपी प्रस्तुत की गई। प्रस्ताव का परीक्षण करने पर पायी गयी कमियों/त्रुटियों की पूर्ति हेतु संदर्भित पत्र-4 से वनमण्डलाधिकारी की ओर ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी मूलतः वापस की गई। वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रकरण में पायी गयी कमियों/त्रुटियों की पूर्ति कर संदर्भित पत्र -5 से ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में भाग-3 की कार्यवाही उपरांत आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्ताव 03 प्रतियों में संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार 03 प्रतियों में।

(डॉ.ए.के.जोशी)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/माचि/2020/ 1439
प्रतिलिपि-

शहडोल, दिनांक 28/2/2020

1. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल अनूपपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. क्षेत्रीय महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ.ए.के.जोशी)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म.प्र.)

भाग-III

संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है

14	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	आवेदित क्षेत्र का स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 24.01.2020 एवं 26.02.2020 को किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक से संलग्न है।
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं ? यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	वनमंडलाधिकारी, वनमंडल अनूपपुर द्वारा झिरिया वेस्ट ओ.सी.परियोजना (1.50 MTY) हेतु कक्ष क्रमांक आर.एफ. 488 रकवा 128.486 हे., पी.एफ. 492 रकवा 1.734 हे., पी.एफ. 493 रकवा 2.437 हे., पी.एफ. 494 रकवा 27.084 हे., आर.एफ. 496 रकवा 148.789 हे., पी.एफ. 498 रकवा 1.396 हे., आर.एफ. 502 रकवा 1.576 हे. एवं आर.एफ. 502 रकवा 3.241 हे. (रोड हेतु) कुल रकवा 314.743 हे. अनुमोदन किये जाने हेतु अनुशंसा की जाती है। उक्त कक्ष क्रमांक पी.एफ. 492 रकवा 1.734 हे., पी.एफ. 493 रकवा 2.437 हे., पी.एफ. 498 रकवा 1.396 हे. एवं आर.एफ. 502 रकवा 1.576 हे. कुल रकवा 7.143 हे.। उक्त कक्षों का अत्यंत कम रकवा आवेदित किया गया है, उक्त क्षेत्र में उत्खनन हो जाने से बाद में उक्त रकवा में प्रबंधन की समस्या हो सकती है। अतः कक्ष क्रमांक पी.एफ. 492 रकवा 1.734 हे., पी.एफ. 493 रकवा 2.437 हे., पी.एफ. 498 रकवा 1.396 हे. एवं आर.एफ. 502 रकवा 1.576 हे. कुल रकवा 7.143 हे. वन भूमि का केवल "माइनिंग सेप्टी जोन" या अन्य कार्य में उपयोग किया जावे। उत्खनन कार्य किया जाना उचित नहीं होगा। राजस्व वन भूमि के तीन ग्रामों के 10 खससों का कुल रकवा 39.515 हे., वन भूमि का 314.743 हे. कुल रकवा 354.258 हे. अनुमोदन किये जाने की अनुशंसा की है। इस कार्यालय द्वारा भी वनभूमि व्यपवर्तन किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

तिथि: 28/02/2020

स्थान: शहडोल



(डॉ० ए०के० ज्योशी)

मुख्य वन संरक्षक

वन वृत्त शहडोल (म०प्र०)